

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 01.03.2016

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2014 श्र०सं० 243 / श्री राकेश रंजन,
श्रम अधीक्षक, (सामान्य), गया अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, (कृषि
श्रमिक), गया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2014 श्र०सं० 244 / श्री मनीष कुमार,
श्रम अधीक्षक, (सामान्य), बेगूसराय को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक,
(कृषि श्रमिक), बेगूसराय तथा श्रम अधीक्षक, (सामान्य एवं कृषि श्रमिक), खगड़िया का अतिरिक्त
प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2014 श्र०सं० 245 / श्री प्रशान्त राहुल,
श्रम अधीक्षक, (सामान्य), कटिहार को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक,
(कृषि श्रमिक), कटिहार का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2014 श्र०सं० 246 / श्री सुबोध कुमार,
श्रम अधीक्षक, मधेपुरा को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, सुपौल का
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2014 श्र०सं० 247 / श्री रोहित राज सिंह,
श्रम अधीक्षक, (कृषि श्रमिक), जहानाबाद सम्प्रति सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में
प्रतिनियुक्त को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त उप निबन्धक, श्रमिक संघ, श्रमायुक्त
कार्यालय, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1
binge
11/3/2016
(विजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2014 श्र०सं० 247 / पटना, दिनांक-01.03.2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०)
विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री, श्रम
संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना के सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त,
बिहार/जिला पदाधिकारी, गया, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, मधेपुरा,
सुपौल/सम्बन्धित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा
पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम
संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1
binge
11/3/2016
सरकार के उप सचिव।